

1.	योजना का नाम	विशेष योग्यजन खेलकूद योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	खेलकूद अंतर्गत विशेष योग्यजन प्रतिभाओं का खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से दक्षता एवं क्षमता में वृद्धि करना है ताकि विशेष योग्यजन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1996
4.	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	1. प्रार्थी के पास चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का विशेष योग्यजनता प्रमाण पत्र हो। 2. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 3. योजनान्तर्गत खेलकूद/सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में रुचि रखता हो।
6.	देय सुविधाएं	प्रार्थी को राशि रुपये 50,000/- से 75,000/- की प्रोत्साहन राशि देय होगी।
7.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।
8.	आवेदन कहां किया जावे	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● विकलांगता प्रमाण-पत्र ● मूल निवास प्रमाण-पत्र
10.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।